



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 103 राँची, सोमवार,

20 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 जनवरी, 2023

विषय :- विभागीय संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20.11.2015 की कंडिका-2(ii), जिसके तहत झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रुपये तक निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गयी है, में संशोधन के सम्बन्ध में ।

संख्या 13/उ०न्या०स्था०-05/2014 का० 449--झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20.11.2015 की कंडिका-2(ii) में संशोधन हेतु विधि विभाग के माध्यम से किये गये अनुरोध के आलोक में उक्त संकल्प की कंडिका-2(ii), जिसके तहत झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रुपये तक निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गयी है में इस हद तक संशोधन किया जाता है कि प्रति माह अनुमान्य 1500 रुपये के प्रावधानित सीमा के अन्दर निःशुल्क कॉल की सुविधा के साथ FTTH (Fiber to the Home) तथा इन्टरनेट/कॉल सेवा के अन्य माध्यम के दावे भी जुड़े होंगे। संकल्प की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।
3. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2023 में मद संख्या-2 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।
4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/

सरकार के प्रधान सचिव
